

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

Phone - 07868-222006 (C), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail: dfohknk@rediffmail.com

परियोजना स्थल को संरक्षित क्षेत्र से बाहर दर्शाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, कांकेर वन मण्डल के कांकेर परिक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम नाथियानवागांव नारंगी वन खण्ड कक्ष क्रमांक 346 में से रकबा 4.309 हैं. में शासकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तावित है, में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, बायोस्पीयर रिजर्व, टायगर रिजर्व, एलीफैन्ट कारीडोर इत्यादि संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है।


वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

Phone - 07868-222006 (C), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail:dfoknk@rediffmail.com

परियोजना स्थल को संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. दूरी से बाहर/अंदर दर्शाने वाले प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, कांकेर वन मण्डल के कांकेर परिक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम नाथियानवागांव नारंगी वन खण्ड कक्ष क्रमांक 346 में से रकबा 4.309 हैं. में शासकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तावित है, में परियोजना स्थल से 10 कि.मी. की दूरी एवं अंदर में किसी भी प्रकार के संरक्षित क्षेत्र नहीं है।


वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर (छ.ग.)

GOVT. POLYTECHNIC KANKER (C.G.) - 494334

Email-govtpolykanker@gmail.com, Ph-078682-22081

क्रमांक/शापोका/स्था./2017/ 160

कांकेर/दिनांक 18/05/2017

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी

कांकेर वन मण्डल (छ0ग0)

विषय:- शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज भवन निर्माण हेतु कांकेर जिले में राजस्व भूमि ना होने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर कांकेर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक/मा.वि./2017/1416 कांकेर दिनांक 26/04/2017.
2. कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर का पत्र क्रमांक 740/कले0/भू0अ0/2017 कांकेर दिनांक 17/06/2017.

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र0 01 द्वारा शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज कांकेर के भवन निर्माण हेतु कांकेर जिले में राजस्व भूमि ना होने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण की मांग की गई थी ।

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) के संदर्भित पत्र क्र0 02 के द्वारा आपके द्वारा चाहा गया प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है । जिसकी सत्यापित छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

87c

18/5/17



प्राचार्य

शासकीय पॉलीटेक्निक
कांकेर (छ0ग0)

क्रमांक/शापोका/स्था./2017/ 161
प्रतिलिपि:-

कांकेर/दिनांक 18/05/2017

1. आयुक्त सह-सचिव तकनीकी शिक्षा आयुक्त सह-सचिव, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ ।
2. कार्यापालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) संभाग कांकेर को सूचनार्थ ।
3. जे0 एस0 दीक्षित, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी संचालनालय तकनीकी शिक्षा भवन नया रायपुर को सूचनार्थ ।
4. प्रभारी भवन शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर (छ0ग0) ।

87c

18/5/17



प्राचार्य

शासकीय पॉलीटेक्निक
कांकेर (छ0ग0)

S/c Buiding / Land (129)
17/5/17

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांगेर

क्रमांक 740 / कले. / भूअ. / 2017

कांगेर दिनांक 17 / 05 / 2017

प्रति

प्राचार्य

शासकीय पॉलीटेक्निक कांगेर
जिला उत्तर बस्तर कांगेर



विषय:- शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन निर्माण हेतु कांगेर जिले में राजस्व भूमि न होने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत ।
संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक/स्था./शापोका/ 2017 /98 कांगेर दिनांक 01.05.2017

-0-

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें , जिसमें शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज कांगेर के भवन निर्माण हेतु कांगेर जिले में राजस्व भूमि न होने के संबंध में वन मंडलाधिकारी कांगेर के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है ।

अतः कांगेर जिले में शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज **Skill Upgradation or vocational training centres** की स्थापना हेतु 4.309 हेक्टेयर भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है ।

संलग्न :-प्रमाण पत्र

17/5/17
संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर
जिला उत्तर बस्तर कांगेर

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर

अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कांकेर जिले में शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज
Skill Upgradation or vocational training centres की स्थापना हेतु 4.309 हेक्टेयर
गैर वानिकी कार्य हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है ।


कलेक्टर

 जिला उत्तर बस्तर कांकेर

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु
मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र

मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/सिंचाई/3055 दिनांक 20.10.2006 के निर्देशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कांकेर जिले में समतुल्य राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध न होने के कारण कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2004/कले./भू.अभि./2017 दिनांक 21.12.2017 के माध्यम से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है।

तदनुसार गैर वन भूमि उपलब्ध न होने के कारण परिक्षेत्र चारामा के नारंगी वन खण्ड सिरसिदा (अ) कक्ष क्रमांक 1474 वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार किया गया है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र एवं संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।


वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर


प्राचार्य
शासकीय पॉलीटेक्निक
कांकेर

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा)
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

क्रमांक 2004 / कले. / भू.अभि. / 2017
प्रति,

कांकेर, दिनांक 21/12/2017

प्राचार्य

शासकीय पॉलीटेक्निक

नाथिया नवागांव कांकेर (छ.ग.)

विषय:- शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज भवन निर्माण के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण भूमि उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र. 1046 / दिनांक 01.12.2017

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें राजस्व भूमि उपलब्ध न होने के संबंध में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र चाही गई है।

अतः वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

संयुक्त कलेक्टर

वास्ते-कलेक्टर

जिला उत्तर बस्तर कांकेर

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर

—: वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र :-

—000—

प्रमाणित किया जाता है कि शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज भवन निर्माण हेतु ग्राम नाथियानवागांव ऑरेंज एरिया कक्ष क्रमांक 346 में से 4.309 हे. वन भूमि प्रत्यावर्तन के बदले, व्यपवर्तित वन भूमि के समतुल्य वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि जिला उत्तर बस्तर कांकेर में उपलब्ध नहीं है।

स्थान --कांकेर

दिनांक-- / / 2017


कलेक्टर 15/11/2017

जिला उत्तर बस्तर कांकेर